भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: 66

गुरूवार, 21 जुलाई, 2022/30 आषाढ़, 1944 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

विमानपत्तनों का निजीकरण

***66. श्री नव कुमार सरनीया:**

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसे विमानपत्तनों के नाम एवं उनका ब्यौरा क्या है जिन्हें निजी कंपनियों को पट्टे पर दिया गया है;

(ख) इन विमानपत्तनों को निजी कंपनियों को किस आधार पर और किन-किन शर्तों पर आबंटित किया गया है तथा इससे सरकार को कितनी राजस्व राशि प्राप्त हुई/प्राप्त होने की संभावना है;

(ग) क्या गुवाहाटी विमानपत्तन को भी किसी निजी कंपनी को आबंटित किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे कितनी समयावधि के लिए आबंटित किया गया है;

(घ) क्या निजी कंपनी को विमानपत्तन सौंपे जाने के कारण विमानपत्तन पर कार्यरत कर्मचारियों को कोई असुविधा हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कर्मचारियों के हितों की रक्षा हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ड.) क्या सरकार ने असम में डोलू चाय बागान पर ग्रीनफील्ड विमानपत्तन के निर्माण की भी अनुमति दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) से (ड.) तक: वक्तव्य सदन के पटल पर रख दिया गया है।

'विमानपत्तनों का निजीकरण' विषय पर लोकसभा के दिनांक 21.07.2022 के तारांकित (*) प्रश्न संख्या 66 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) : भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने अपने आठ हवाई अड्डों को दीर्घावधि लीज आधार पर प्रचालन, प्रबंधन और विकास के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत लीज पर दिया है। रियायतग्राहियों सहित इन हवाई अड्डों का विवरण इस प्रकार है:

(1) इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली - मैसर्स दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डायल),

(2) छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुंबई - मैसर्स मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (मायल)

(3) चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लखनऊ - मैसर्स लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एलआईएएल),

(4) सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अहमदाबाद - मैसर्स अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एआईएएल),

(5) मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा - मेसर्स मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एमएआईएएल)

(6) जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा - मैसर्स जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (जेआईएएल)

(7) लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गुवाहाटी - मैसर्स गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (जीआईएएल)

(8) तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा - मेसर्स टीआरवी-केरल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (टीआईएएल)

(ख): दिल्ली और मुंबई हवाईअड्डों को प्रचालन, प्रबंधन और विकास के लिए राजस्व हिस्सेदारी मॉडल के आधार पर, 30 वर्ष की अवधि, जो आगे 30 वर्ष तक और बढ़ाई जा सकती है, के लिए अवार्ड किया गया है। अन्य छह हवाईअड्डों यथा लखनऊ, अहमदाबाद, मंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी

और तिरुवनंतपुरम को प्रचालन, प्रबंधन और विकास के लिए, एएआई को देय प्रति यात्री शुल्क (पीपीएफ) आधार पर 50 वर्ष की अवधि, जिसे आगे बढाया नहीं जा सकता के लिए, अवार्ड किया गया था।

अब तक, एएआई को दिल्ली और मुंबई हवाईअड्डों के निजी भागीदारों से राजस्व हिस्सेदारी के रूप में 30,000 करोड़ रुपये से अधिक का वार्षिक शुल्क प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त, अन्य छह हवाईअड्डों के निजी भागीदारों, ने 31 मई, 2022 तक, एएआई को पीपीएफ के रूप में लगभग 520 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। एएआई को, छह हवाई अड्डों के निजी भागीदारों से इन हवाई अड्डों पर एएआई द्वारा किए गए पूंजीगत व्यय के लिए अपफ्रंट शुल्क के रूप में 2355.50 करोड़ रुपये की राशि भी प्राप्त हुई है।

(ग): जी हाँ। एएआई ने, गुवाहाटी हवाई अड्डा भी, हवाई अड्डे के प्रचालन, प्रबंधन और विकास के लिए पीपीपी के तहत 50 वर्ष की लीज अवधि के लिए मैसर्स गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को लीज पर सौंपा है।

(घ): जी नहीं। हाल ही में बोली के तहत लाए गए छह हवाई अड्डों पर तैनात एएआई कर्मचारियों के हितों को पूरी तरह से संरक्षित किया गया है। पीपीपी के तहत हवाईअड्डा प्रचालक के साथ रियायत करार के अनुसार, कर्मचारियों (सहायक महाप्रबंधक के पद तक) को 3 वर्ष (अर्थात 1 वर्ष की संयुक्त प्रबंधन अवधि के बाद 2 वर्ष की मानी गई प्रतिनियुक्ति अवधि) के लिए संबंधित हवाई अड्डे पर तैनात किया जाएगा। साथ ही, रियायतग्राही उन नियमों और शर्तों पर, न्यूनतम 60% कर्मचारियों नियुक्ति प्रस्ताव की पेशकश करने का उत्तरदायी है जो मौजूदा शर्तों से कमतर न हो। इसके बाद, कर्मचारियों के पास रियायतग्राही निकाय में शामिल होने या एएआई में लौटने का विकल्प रहेगा।

(ङ): असम सरकार के अनुरोध पर, एएआई ने सिलचर में एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा चिह्नित तीन स्थलों के लिए जनवरी, 2020 में एक पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन किया था। इनमें से डोलो साइट सबसे उपयुक्त पाई गई। सभी मौसमों में ए-321 प्रकार के विमान प्रचालनों के लिए, 870 एकड़ भूमि की आवश्यकता को इंगित करते हुए मास्टर प्लान सहित एक रिपोर्ट एएआई द्वारा असम सरकार को भेजी गई है। इस रिपोर्ट के अनुसरण में, असम सरकार ने डोलो (सिलचर) में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास के लिए 826 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया है।

ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों का विकास, ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा (जीएफए) नीति, 2008 के तहत अधिशासित होता है। नीति के अनुसार, कोई राज्य सरकार या हवाईअड्डा विकासकर्ता, जो एक हवाईअड्डा स्थापित करना चाहता है, के द्वारा दो चरण के अनुमोदन अर्थात 'साइट-क्लीयरेंस' और उसके बाद 'सैद्धांतिक' अनुमोदन के लिए, नागर विमानन मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजना अपेक्षित है। ऐसे प्रस्तावों पर एमओसीए द्वारा, जीएफए नीति में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विचार किया जाता है। तदनुसार, परियोजना प्रस्तावक से प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद एमओसीए द्वारा साइट निकासी पर विचार किया जाता है।